संख्याः 134 /USDMA/792(2020) TC

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एव मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढवाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.,

देहरादून, दिनांकः 26 मार्च, 2021

विषयः कोविड–19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत होली एवं अन्य त्यौहारों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किये गये समस्त आदेशों / नियमों का अनुपालन कराते हुए, इस वर्ष होली महोत्सव दिनांक 28–29 मार्च 2021 एवं अन्य त्यौहार जो कि आने वाले माह की विभिन्न तिथियो में मनाये जायेगें। इन महोत्सवों एवं त्यौहारो का आयोजन निम्न शर्तों के साथ मनाये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. होलिका दहन हेतु कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों हेतु अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड़ का जमावाड़ा नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरूष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें। ऐसे लोग सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचें एवं घरों के अन्दर ही होली मनायें।

2. होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे।
3. समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी तथा बुखार, जुखाम आदि से पीडित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाये।
4. होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जायेगी। किसी प्रकार का हुडदंग आदि नहीं किया जायेगा। सार्वजनकि स्थल पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
5. कैन्टेनमैन्ट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। लोग अपने घरों के अन्दर ही होली मना सकते हैं।
6. संकरी सडकों एवं संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचें।

7. होली में पानी एवं गीले रंगों का प्रयोग करने से बचें व सूखे रंग, आर्गेनिक (फूलो से बने रंगो) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगो को भी प्रेरित करें तथा गले मिलने आदि से बचने की कोशिश करें।

8. होली मिलन समारोह में यथासम्भव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा यदि अति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजेबल गिलास तथा बर्तनों का प्रयोग किया जायेगा।

9. समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जायगी तथा कूडे आदि को इधर–उधर न बिखराकर डस्टबिन का प्रयोग किया जायेगा।

10. समारोह स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशा–निर्देशो का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजकों का होगा।

11. समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमे सोशल डिस्टेंसिग, सैनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग इत्यादि शामिल है।

12. माह की विभिन्न तिथियों में मनाये जाने वाले अन्य त्यौहारों मे भी कोविड संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिग, सैनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया जायेगा एवं त्यौहार मनाने के स्थल पर थर्मल स्कैनिंग आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी । त्यौहार के स्थल पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नही करेगे। त्यौहार के स्थल पर यथासम्भव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा एवं समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश, IAS)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा0 उच्चन्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(एस0ए0 मुरुगेशन, IAS)
सचिव
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास